सं. एन-11013/22/2015-एफडी

भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के. जी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 08.01.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए गठित समन्वय समिति की दिनांक 23 नवंबर, 2015 को 1030 बजे, कॉन्फ्रेंस हॉल, एमओपीआर में आयोजित पहली बैठक का कार्यवृत।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त उल्लेखित विषय पर दिनांक 23.11.2015 को आयोजित समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करने का निदेश दिया गया है।

(R.Shivakumar)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 011-23753812

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में,

1. बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी।
2. सभी राज्यों के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, ।

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रति:

1. एसपीआर के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. एएस (एकेजी) के निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (आईएससी) के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)

दिनांक 23 नवंबर, 2015 को 10:30 बजे, कॉन्फ्रेंस हॉल,एमओपीआर में आयोजित चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए गठित समन्वय समिति की पहली बैठक का कार्यवृत।

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की अनुशंसा के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 के जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा गठित समन्वय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 23 नवंबर, 2015 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एसपीआर) की अध्यक्षता में हुई। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

2. प्रारंभ में, श्री आई. एस चहल, संयुक्त सचिव (एफडी), पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के पैरा 24 (i) से (xii) में यथा सूचीबद्ध चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित समन्वय समिति की प्रथम बैठक में प्रतिभागियों का स्वागत किया। यह समिति वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 24 में यथा उल्लिखित विस्तृत विचारार्थ विषय (टीओआर) की समीक्षा करेगी।

3. एसपीआर ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला और राज्यों से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया:

(i) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों, एसएफसी अनुदानों, मनरेगा, स्वयं के संसाधनों और ग्राम पंचायतों को राज्य द्वारा हस्तांतरित किसी भी अन्य निधियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को पर्याप्त निधियां प्राप्त होंगी, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को सुझाव दिया कि वे ग्राम पंचायत द्वारा उन संसाधनों का प्रयोग करके जिन पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण है, ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए नीतिगत निर्णय लें। अब तक 18 राज्यों ने जीपीडीपी दिशानिर्देश तैयार किये हैं और जारी कर दिए हैं। शेष राज्य जीपीडीपी दिशानिर्देश को तैयार करने और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ii) पंचायतों द्वारा में राजस्व के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) संग्रहणों में सुधार लाने के संबंध में जून, 2015 में एनआईआरडी एवं पीआर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें विशेषज्ञों ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रगतिशील लक्ष्यों के साथ कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रत्येक राज्य के संदर्भ में मसौदा रोडमैप विकसित करने के लिए राज्य की टीमों को सुविधा प्रदान की। राज्यों से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(iii) एसपीआर ने यह भी सूचित किया कि इस मंत्रालय ने राज्य वित्त आयोगों (एस एफ सी) को अंतर-राज्य परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18-19 जनवरी, 2016 के दौरान "राजकोषीय विकेंद्रीकरण और एसएफसीएस की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। सम्मेलन में राज्यों, एसएफसी, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, सी एंड एजी, आरबीआई, नीति आयोग के प्रतिनिधि तथा प्रोफेसर रॉय बहल और प्रोफेसर अनवर शाह सहित प्रतिष्ठित एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे।

(iv) चौदहवें वित्त आयोग ने संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाया है और मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड जैसे राज्यों (जिन्हें संविधान के भाग IX से बाहर रखा गया है) के लिए तथा असम, त्रिपुरा और मणिपुर के पहाड़ी जिलों के अन्य छठी अनुसूची क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कोई भी अनुदान की अनुशंसा नहीं की है। पंचायती राज मंत्रालय की राय यह थी कि इन उपेक्षित क्षेत्रों को भी कुछ विशेष अनुदान मिलना चाहिए। इसके मद्देनजर पंचायती

राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने इन उपेक्षित राज्यों को विशेष अनुदान प्रदान करने के मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा है। चूंकि इन राज्यों से मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि चौदहवें वित्त आयोग का अनुदान उन्हें प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए वित्त मंत्रालय से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

(v) एसपीआर ने घोषणा की कि पंचायतों की लेखापरीक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए आरडी एवं पीआर विभागों, डीएलएफए और एजी के राज्य सचिवों द्वारा विस्तृत त्रिपक्षीय चर्चा की जाएगी।

(vi) संयुक्त सचिव (एफडी), पंचायती राज मंत्रालय ने सूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को आरएलबी के लिए वर्ष 2015-16 हेतु चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित बुनियादी अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है।

(कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय,राज्य)

4. *विभिन्न कार्यसूची बिंदुओं पर चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए :*

i. यह निर्णय लिया गया कि बुनियादी सेवाओं की बेंचमार्किंग के लिए मानदंड तैयार करने और एमओयूडी/ एनआईयूए/ एमओएफ के अनुभवों को साझा करते हुए उपयोगकर्ता शुल्क के लिए लागत मानदंड तैयार करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह का गठन किया जाए।

ii. संयुक्त कार्य दल केरल और तमिलनाडु राज्यों के अनुभव का लाभ लेते हुए सरकारी भवनों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय निकायों को प्रतिपूर्ति देने हेतु मसौदा दिशानिर्देश भी बनाएगा।

iii. नगर निगम बांड के निर्गम से संबंधित पहलुओं पर विचार करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श से एक विशेषज्ञ समूह गठित किया जाएगा जो पंचायतों को भी सहायता प्रदान करेगा। यह उल्लेख किया गया कि तमिलनाडु और केरल के पास इस क्षेत्र में अनुभव है जिसका उचित उपयोग किया जा सकता है।

(कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय)

iv. राज्य अपनाए गए फॉर्मूले और पंचायती राज मंत्रालय को निधियों के प्रवाह के चैनल सहित चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने के विवरणों की सूचना देंगे। तत्पश्चात, उपयोग प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिप भी पंचायती राज मंत्रालय को भी अग्रेषित की जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय इस प्रयोजनार्थ एक एमआईएस विकसित करेगा।

(कार्रवाई: राज्य)

v. राज्यों को चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान की किस्तें जारी करते हुए, वित्त मंत्रालय संबंधित सचिव, पंचायती राज मंत्रालय को आदेश की एक प्रति भी भेजेगा ताकि राज्य में पीआर विभाग को राज्य वित्त विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम पंचायतों को अनुदान हस्तांतरित करने की सुविधा मिल सके। इसका विवरण पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(कार्रवाई: एफएफसी प्रभाग,एमओएफ)

vi. चूंकि चौदहवें वित्त आयोग ने पंचायतों द्वारा राजस्व के स्वयं स्रोतों से धन संग्रह जुटाने को विशेष महत्व दिया है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में एक अध्ययन किया जाएगा ताकि पंचायतों, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के लिए संभावित राजस्व स्रोतों की पहचान की जा सके ।

(कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय)

vii. वित्त मंत्रालय को व्यावसायिक कर की सीमा 2,500/- रू. से बढ़ाकर 12,000/- रु. करने के लिए संविधान में संशोधन हेतु मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव लाने के लिए याद दिलाया जाए।

(कार्रवाई: एफएफसी प्रभाग,एमओएफ)

viii. तकनीकी और प्रशासनिक सहायता के लिए 10% निधि का उपयोग करने से संबंधित गतिविधियों की सूची की अनुशंसा करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने स्वीकृति दे दी गई। यह निर्णय लिया गया कि राज्यों को इस संबंध में एक एडवाइजरी की जाए।

(कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय)

ix. यह भी निर्णय लिया गया कि पंचायती राज मंत्रालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि लेखा के उचित रखरखाव और पंचायत लेखाओं की लेखापरीक्षा और उनसे संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सुविधा प्रदान करने हेतु ,पंचायत राज विभागों के सचिवों, राज्य एजी तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के निदेशकों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।

(कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय)

x. निधियों के उपयोग में अनियमितताओं को रोकने के लिए राज्यों को तुरंत एक उपयुक्त तृतीय पक्षकार तंत्र स्थापित करना चाहिए। उसमें पेशेवरों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा और गुणवत्ता लेखापरीक्षा शामिल होगी।

(कार्रवाई: एमओपीआर)

(xi) एसपीआर ने सूचित किया कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट बजट, लेखा और लेखापरीक्षा नियमावलियां तैयार करने का कार्य भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान (आईपीएआई) को सौंपा है ताकि पंचायतों में प्राथमिक लेखाओं को कायम रखने की प्रणाली को सरल और बेहतर बनाया जा सके। आईपीएआई टीम के साथ समन्वय करने और अध्ययन में सुविधा प्रदान करने हेतु, राज्यों ने पहले ही एक वरिष्ठ अधिकारी को सभी आवश्यक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सचिव, पंचायती राज ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन राज्य विशिष्ट नियमवलियों (मैनुअल) को तैयार करने के लिए एक राज्य सलाहकार समूह का गठन करने के लिए कहा है। राज्य सलाहकार समूह में वित्त, विधिशास्त्र, पंचायती राज के प्रधान सचिव और डीएलएफए और राज्य महालेखाकार शामिल होने चाहिए। *यह निर्णय लिया गया कि राज्य सलाहकार समूहों के गठन और बैठकें आयोजित करने में हुई प्रगति की जानकारी देंगे।*

(कार्रवाई: राज्य)

(xii) यह निर्णय लिया गया कि समिति की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

बैठक अध्यक्ष और प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के साथ संपन्न हुई।

****

अनुलग्नक

पंचायती राज मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दिनांक 23 नवंबर, 2015 को 1030 बजे आयोजित समन्वय समिति की प्रथम बैठक।

प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	पता
1.	श्री एस. एम विजयानंद , सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
2.	श्री ए. के. गोयल, अपर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
3.	श्री आई. एस. चहल, संयुक्त सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
4.	श्री आर शिवकुमार, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
5.	श्री सरस्वती प्रसाद, संयुक्त सचिव	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली
6 .	श्री राजेश भूषण, संयुक्त सचिव (आरसी) एवं महानिदेशक, एनआरआरडीए	ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
7 .	श्री ए. के सचदेवा, उप सचिव (एफसीडी)	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
8 .	श्री मनोज सहाय, प्रधान निदेशक	सीएजी का कार्यालय, नई दिल्ली
9.	श्री औचित्य शर्मा, वरिष्ठ ए.ओ.	सीएजी का कार्यालय, नई दिल्ली
10.	श्री प्रमोद कुमार, निदेशक	शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
11.	डॉ. संदीप ठाकुर , वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए), एमओयूडी , नई दिल्ली
12.	श्री सी.के. तिवारी, प्रधान सचिव	उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
13.	श्री प्रशांत मिश्रा, राज्य परियोजना प्रबंधक, आरजीपीएसए	उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
14.	श्री डी पी दास, निदेशक, पंचायती राज	ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर
15.	डॉ. के. जयलक्ष्मी, सीपीआर	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद

****